आर.ई.ओ–27

जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक/जोधपुर डिस्काम/अ.अ.पी.पी.एम/फा सामान्य शाखा/प्रे 905 दिनांक 5/8/02

परिपत्र

विषयः– कारगिल द्वारा व अन्य क्षेत्रो में शहीद हुए सैनिको के आश्रितो को प्राथमिकता पर विद्युत कृषि कनेक्शन उपलबध कराने के सम्बन्ध में ।

तत्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा जारी परिपत्र संख्या : रा.रा.वि.म. उ मु.अ./रा.वि.नि.भा.वि./प्रे 1365 दिनांक 10.08.1999 (आर ई.ए–169) में निम्नलिखित आंशिक संशोधन किया जाता है।

1. यह परिपत्र कारगिल के पश्चात सैन्य कार्यवाही के दौरान शहीद हुए सैनिको व अर्द्व सैनिक बलों के सैनिको के लिए भी लागू रहेगा ।

2. सैनिको अथवा अर्द्व सैनिक बलो के वीर गति प्राप्त सैनिको के स्वयं के नाम अथवा उनकी विधवाओं व पुत्र–पुत्री के नाम यदि भूमि नहीं हो तो उनके माता पिता के नाम भी कृषि कनेक्शन दिये जावे ।

इस आदेश का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाये तथा सैनिक कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर वर्तमान के ऐसे समस्त पात्र व्यक्तियो से सम्पर्क स्थापित कर 31 अगस्त तक आवेदन प्राप्त कर कनेक्शन देने की सम्पूर्ण कार्यवाही सितम्बर 2002 तक निशचित रूप से पूर्ण कर ली जावें । भविष्य में भी ऐसे प्रकरणो का तुरन्त निस्तारण सुनिश्चित किया जावें।

(एच.एस.देवड़ा)
उप मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्काम,जोधपुर

क्रमशः